रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26—मई 2, 2008 (वैशाख 6, 1930)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26—MAY 2, 2008 (VAISAKHA 6, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई-400 021, दिनांक 17 अप्रैल 2008

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का शेयरधारक रजिस्टर वर्ष 2007-2008 के लाभांश का भुगतान, यदि कोई है, करने के लिए, सोमवार 02 जून, 2008 से बुधवार 11 जून, 2008 (इन दोनों दिनों को शामिल करते हुए) तक की अवधि के लिए, शेयरों के अंतरण हेतु बन्द रहेगा।

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. एन-15/13/7/5/2006-यो.एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अप्रैल, 2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:--

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम व नगर पालिका सीमाएं	होबली	तालुक	जिला
1.	महाजेनहल्ली	कसबा	हरिहर	दानणगेरे
	ग्राम पंचायत-हनगवाड़ी			

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/11/1/2008-यो.एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 अप्रैल, 2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ

पंजाब राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:--

क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	हदबस्त सं	तहसील	जिला
1.	तलवाड़ा	74	अमलोह	फतेहगढ़साहब
2.	चतरपुरा	68	अमलोह	फतेहगढ़साहब
3.	मुलापुरकलाँ	42	फतेहगढ़साहब	फतेहगढ़साहब
4.	वजीरनगर	44	फतेहगढ़साहब	फतेहगढ़साहब

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/23/1/1988-यो.एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 मार्च, 2008 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा नागालैण्ड कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम 1999 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ नागालैण्ड राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:--

"डिमापुर नगर पालिका के अधीन तथा डिमापुर राजस्व सर्कल के अन्तर्गत आने वाले राजस्व, राजस्व ग्राम डिमापुर टाउन, नागरजान, पुराना बाजार, 4 माईल, इकरानी गाँव, दारोगा पथार तथा जिला डिमापुर के मौज़ा I,II,III"

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण

नई दिल्ली, दिनांक 2007

सं. ओ.पी.एस.-748/2003--भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उप-धारा (2) के खंड (च) और खंड (छ) तथा उप-धारा (4) के साथ पठित उप-धारा (1) और धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (खोई संपत्ति) विनियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:--

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (खोई संपत्ति) संशोधन विनियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (खोई संपत्ति) विनियम, 2003 में,--

(1) विनियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"2.(1) परिभाषाएं:--इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:--

(क) "अधिनियम" से भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) अभिप्रेत है;

(ख) "विमानपत्तन निदेशक" से संबंद्ध विमान पत्तन का निदेशक अभिप्रेत है, जिसको ये विनियम लागू होते हैं;

(ग) "सीमा शुल्क अधिनियम" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है;

(घ) "कर्त्तव्य विमानपत्तन प्रबंधक" से प्राधिकरण का ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो यात्री टर्मिनल की पारी में भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करता है;

(ड.) "नियंत्रण टावर कर्त्तव्य अधिकारी" से प्राधिकरण का ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो वायु यातायात नियंत्रण टावर की पारी में भारसाधक अधिकारी रूप में कार्य करता है;

(च) "सरकारी असेसर" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत सरकार से किसी अंतक या मूल्यांकन के रूप में अनुज्ञप्ति धारण करता है;

(छ) "विमानपत्तन या सिविल एन्कलेव का भारसाधक" से किसी ऐसे संबंद्ध विमानपत्तन या सिविल एन्कलेव का भारसाधक अभिप्रेत है जिसको यह विनियम लागू होते हैं;

(ज) "खोई संपत्ति" से कोई ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जो उचित अभिरक्षा में न होते हुए किसी ऐसे परिसर में पाई जाती है जो प्राधिकरण का हो या उसके पूर्णत: नियंत्रण में हो या ऐसे किसी परिसर पर खड़े किसी वायुयान में हो;

(झ) "खोई संपत्ति कार्यालय" से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जो निदेशक या विमान पत्तन या सिविल एन्कलेव के भारसाधक द्वारा खोई संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा खोई संपत्ति का खोई संपत्ति कार्यालय में परिदान किए जाने के प्रति निर्देश से ऐसे कार्यालय में किसी अधिकारी को प्रदान किया गया है;

(ञ) "अधिकारी" से प्राधिकरण का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो विमानपत्तन निदेशक अथवा सिविल एन्कलेव के भारसाधक से भिन्न हो।

(2) ऐसे शब्दों और पदों, के जो इन विनियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं।";

(3) विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"3. खोई संपत्ति का किसी अधिकारी की सौंपा जाना (1) सीमाशुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति (यथास्थिति कर्तव्य विमानपत्तन प्रबंधक या नियंत्रण टावर के कर्तव्य अधिकारी), जिसे कोई खोई हुई संपत्ति मिलती है, उसे तुरंत उसी दशा में जिसमें वह उसे मिलती है, कर्तव्य विमानपत्तन प्रबंधक या नियंत्रण टावर के कर्तव्य अधिकारी को सौंपेगा तथा उन परिस्थितियों के बारे में, जिनमें वह उसे मिली है, सूचना कर्तव्य विमानपत्तन प्रबंधक या नियंत्रण टावर के कर्तव्य अधिकारी को देगा।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, कर्तव्य विमानपत्तन प्रबंधक या नियंत्रण टावर के कर्तव्य अधिकारी कोई ऐसा रजिस्टर रखने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें खोई संपत्ति का वर्णन, ऐसे व्यक्ति और अधिकारी के, जो उसे सौंप रहे हैं और जो उसे ग्रहण कर रहे हैं, नाम, पते और हस्ताक्षर अंतर्विष्ट होंगे।"।

(4) विनियम 4 में,--

(क) उप विनियम (1) में "कोई अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति कर्तव्य विमानपत्तन प्रबंधक या नियंत्रण टावर के कर्तव्य अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) परंतुक में "अधिकारी" शब्द के स्थान पर जहां दोनों स्थानों पर आया है "यथास्थिति कर्तव्य विमानपत्तन प्रबंधक या नियंत्रण टावर के कर्तव्य अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

के. रामलिंगम
अध्यक्ष

पाद टिप्पण:--मूल विनियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 28 (अ) तारीख 9 जनवरी, 2003 में प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 1731(अ) तारीख 9 दिसम्बर, 2005 द्वारा किए गए।

दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006

1. प्रस्तावना--

दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर (दरगाह) के समुचित प्रशासन के लिए संसद के द्वारा सन् 1955 में दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम पारित किया गया था। दरगाह धर्मादा का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबन्धन दरगाह कमेटी में निहित है जो अपने कार्यों का निष्पादन कमेटी की सलाह से भारत सरकार द्वारा नियुक्त "नाजिम" के माध्यम से करती है।

1.2. दरगाह के लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अधीन वर्ष 2003-04 से 5 वर्षों की अवधि के लिए सौंपी गई है।

लेखाओं पर टिप्पणियां

2. तुलन-पत्र

2.1 आस्तियां रु. 4.71 करोड़

2.1.1. आय देय परन्तु अप्राप्त

इसे रु. 0.31 लाख से कम बताया गया है जो कि उर्दू भाषा संवर्धन की राष्ट्रीय परिषद (एन.सी.पी.यू.एल.), माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार (जी.ओ.आई), नई दिल्ली द्वारा पुनर्भरण किए जाने योग्य कम्प्यूटर उपभोज्य सामग्री जैसे फ्लोपीज, टोनर्स आदि पर किए गए व्यय के कारण है जिसे तुलन पत्र में "एन.सी.पी.यू.एल. से प्राप्ति योग्य राशि" शीर्ष के तहत चित्रित किए जाने के बजाए गलती से आय-व्यय खाते में "कम्प्यूटर सेन्टर व्ययों" शीर्ष के तहत व्यय की तरह प्रभारित कर दिया गया। यह इस सीमा तक "व्यय पर आय के अधिक्य" के कम दर्शाए जाने में भी परिणामित हुआ। दरगाह द्वारा तथ्यों एवं अंकों को स्वीकार कर लिया गया है।

3. आय एवं व्यय खाता

3.1. व्यय रु. 1.97 करोड़

3.1.1. इन-साईड गुम्बद शरीफ व्यय रु. 6.29 लाख

इसे रु. 0.28 लाख से अधिक बताया गया है जो कि 20.450 किलोग्राम चन्दन के अन्तिम स्टॉक के मूल्य की है जिसे गलती से "मजार शरीफ के लिए चन्दन" उपशीर्ष के तहत व्यय के रूप में मान कर दर्ज किया गया है। यह इस सीमा तक आस्तियों के कम दर्शाए जाने में भी परिणामित हुआ है।

दरगाह द्वारा बताया गया कि लेखापरीक्षा के सुझाव को भविष्य में लागू किया जाएगा।

4. सामान्य

4.1. लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए लेखाओं का एक सामान्य फारमेट विहित किया गया है। दरगाह द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक लेखाओं का विहित फारमेट अपनाया नहीं गया है। दरगाह द्वारा वर्ष 2006-07 से लेखाओं के विहित फारमेट को अपनाने के लिए सहमत है।

वर्ष 2004-05 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान टिप्पणी की गई थी।

4.2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन लेखापरीक्षा हाथ में लेने के लिए विहित की गई मानक निबन्धन एवं शर्तों (शर्तें) के उल्लंघन में दरगाह के लेखाओं की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार के द्वारा की जा रही है।

दरगाह द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2007) कि लेखापरीक्षा सी.ए. द्वारा की जा रही है तथा वह आन्तरिक लेखापरीक्षक भी है। तथापि, सी.ए.जी. ही एकमात्र लेखापरीक्षक होने से तथा लेखापरीक्षा सौंपे जाने के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार प्राथमिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति केवल सी.ए.जी. के द्वारा ही की जा सकती है जो उनकी और से सी.ए.जी. द्वारा जारी निर्देशों एवं मार्ग दर्शनों के आधार पर लेखापरीक्षा संचालित करेगा।

वर्ष 2004-05 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान टिप्पणी की गई थी।

4.3. प्रत्येक आस्ति का विवरण/मूल्य दर्शाने वाले स्थिर आस्तियों के रजिस्टर को अद्यतन नहीं किया गया है तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में योगों को इंगित तथा लेखाओं में दर्शाए गए अंको से उनका मिलान नहीं किया गया है। जिसके अभाव में रु. 3.22 करोड़ के मूल्य की आस्तियों की शुद्धता लेखापरीक्षा में सत्यापित नही की जा सकी थी। दरगाह द्वारा बताया गया (दिसम्बर, 2007) कि वित्तीय वर्ष 2006-07 से आस्तियों के रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी।

वर्ष 2004-05 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान टिप्पणी की गई थी।

4.4. अचल आस्तियों अर्थात बिल्डिंग्स पर ह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

दरगाह द्वारा बताया गया (दिसम्बर, 2007) कि उसके धार्मिक न्यास होने के कारण उसकी आय-कर से मुक्त होती है। पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को धार्मिक संस्था के व्यय के रूप में माना जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि "ह्रास" के अभाव में लेखे अचल आस्तियों के सत्य एवं उचित मूल्य को चित्रित नहीं करते है।

वर्ष 2004-05 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी समान टिप्पणी की गई थी।

4.5. लेखाओं पर नोट्स यह इंगित करते है कि पिछले पांच वर्षों से आय देय परन्तु अप्राप्त (रु. 4.30 लाख), पिछले नौ वर्षों से वार्षिकी देय परन्तु अप्राप्त (रु. 0.85 लाख), दरगाह कमेटी के सदस्य से प्राप्त करने योग्य राशि (रु. 1.45 लाख) तथा किराए की आय एवं लीज राशि देय परन्तु अप्राप्त (रु. 3.69 लाख) को दरगाह कमेटी का अनुमोदन लिए बिना ही लेखाओं से अपलिखित कर दिया गया है।

दरगाह द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2007) कि वर्ष 2004-05 के लेखाओं को लेखा समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। प्राप्त राशि को दृष्टिगत

रखते हुए विशिष्ट संस्वीकृति के अभाव में दरगाह का उत्तर मान्य नहीं है। प्राप्त राशि को अपलेखित करने के लिए दरगाह कमेटी की संस्वीकृति प्राप्त की जाए।

4.6. दरगाह शरीफ के लिए दान स्वरूप प्राप्त रु 0.17 लाख के मूल्य के चांदी से बने बाउलों (10 संख्या) को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं किया गया था। इन्हें प्रबन्धन के कब्जे में भी नहीं पाया गया था।

दरगाह द्वारा बताया गया कि रजत बाउल दरगाह शरीफ में लटक रहे हैं। ये चेस्ट में नहीं रखे हुए हैं।

अत: इन बाउलों को वर्ष 2006-07 के लेखाओं में व्यय के रूप में बुक किए जाएंगे। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि लेखांकन व्यवहारों (प्रेक्टिसों) के अनुसार वित्तीय प्रास्थिति का सत्य एवं उचित चित्र प्रस्तुत करने के लिए माल/वस्तुओं के रूप में प्राप्त हुए दान को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाए।

5. लेखाओं पर लेखापरीक्षा का प्रभाव।

पूर्वगामी पैराओं में दी गई टिप्पणियों का निबल प्रभाव यह हुआ कि 31 मार्च 2006 को आस्तियां एवं व्यय पर आय के अधिक्य को रु. 0.59 लाख से कम बताया गया है।

6. कमियों, जिन्हें इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, को सुधार एवं उपचारी कार्यवाही के लिए पृथक से जारी एक प्रबन्धन पत्र के माध्यम से नाजिम दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के ध्यान में ला दिया गया है।

स्थान: जयपुर

दिनांक: 05.02.2008

ह/- अपठनीय

महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा)
राजस्थान, जयपुर।

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने 31 मार्च 2006 को दरगाह ख्वाजा साहब (दरगाह), अजमेर के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा प्राप्ति और भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व दरगाह के प्रबंधन का है। मेरा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

मैंने अपनी लेखा परीखा लागू नियमों और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण वास्तविक गलत बयानियों से मुक्त हैं के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए मैं योजना बनाता हूँ और लेखापरीक्षा करता हूँ। लेखा परीक्षा में नमूना आधार पर जाँच, राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी लेखापरीक्षा मेरी राय के लिए एक उचित आधार मुहैया करती है।

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मैं सूचित करता हूँ कि:--

1. मैंने सभी सूचना और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए हमारे लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, को प्राप्त कर लिया है।

2. नीचे दी गई मुख्य अभ्युक्तियों और इसके साथ संलग्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत अभ्युक्तियों के अध्यधीन मैं सूचित करता हूँ कि इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और लेखाओं का बहियों से मेल खाते हैं।

- सामान्य फारमेट को अपनाया नहीं जाना (पैरा सं. 4.1)
- स्थिर आस्तियों के रजिस्टर का अनुचित संधारण (पैरा सं. 4.3)
- दरगाह कमेटी का अनुमोदन लिए बिना रु. 10.29 लाख की विभिन्न प्राप्य -देयों को अपलिखित किया जाना (पैरा सं. 4.5)

3. मेरी राय में और मुझे दी गई सर्वोत्तम सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कथित तुलन पत्र, उन पर टिप्पणियों के साथ पठित आय-व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा और उपयुक्त महत्वपूर्ण विषयों के लिए देय तथा इसके साथ संलग्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्य विषय सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

(क) जहाँ तक यह 31 मार्च 2006 को दरगाह के कार्यों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित हैं, और

(ख) जहाँ तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय-व्यय लेखा से सम्बन्धित हैं।

स्थान:--जयपुर

दिनांक:--5.02.2008 ह./- अपठनीय

महालेखाकर (सिविल लेखापरीक्षा)
राजस्थान, जयपुर।

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2006-07
दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर ।

यह मेरा सोभाग्य है के में दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर के प्रशासन पर अपने कार्यकाल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट बराये साल 2006-07 पेश कर रहा हूँ ।

वर्ष 2006 07 घटनाओ से भरा वर्ष रहा जिसमें कम्यूनिटी सेवाओं एंव ख्वाजा मोईनुददीन चिश्ती (र.अ.) का मिशन मुख्य ध्येय था । वर्ष 2006-07 के दोरान दरगाह प्रंबधन में बदलाव आये । कुछ सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हुआ जिसका विवरण निम्न है ।

ए. प्रंबधन

वर्ष की शुरुआत में दरगाह कमेटी के निम्न सदस्य थे ।

i.	जनाब पीरजादा शिब्ली कासिम,	अध्यक्ष ।
ii.	जनाब हाजी सैयद अब्दंल बारी चिश्ती,	उपाध्यक्ष ।
iii.	जनाब हाजी ईनायत हुसैन कुरेशी,	सदस्य ।
iv.	जनाब अब्दुल कादिर भाई वाडीवाला,	सदस्य ।
v.	जनाब शोकत अली अंसारी,	सदस्य ।
vi.	जनाब अब्दुल वहीद खॉ,	सदस्य ।
vii.	जनाब मन्सूर अली ''लल्ली''	सदस्य ।
viii.	जनाब आबिद अली कादरी,	सदस्य ।

जनाब पीरज़ादा शिब्ली कासिम और जनाब हाजी सैयद अब्दुल बारी, चिश्ती वर्ष 2006-07 के क्रमशः अध्यक्ष एंव उपाध्यक्ष चुने गये ।

जनाब हाजी ईनायत हुसैन कुरेशी, सदस्य दरगाह कमेटी का दरगाह की सदस्यता का कार्यकाल 15.10.2006 को समाप्त हुआ ।

बी. वित्तीय स्थिति

नीचे दर्शाई गई सारणी दरगाह समिति की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करती है ।

क्र.स.	मद	2005-06	2006-07
1.	ओपनिग बेलेंस	23,202	4,04,344
2.	वर्ष के दोरान आय (+)	2,11,66,440	2,49,95,257
3.	**कुल आय**	**2,11,89,642**	**2,53,99,601**
4.	वर्ष के दोरान खर्च (-)	2,07,85,298	2,47,48,003
5.	वर्ष के अंत में क्लोसिंग बेलेंस	4,04,344	6,51,598
6.	**आरक्षित फण्ड**	**62,50,000**	**89,00,000**

सी. कल्याणकारी एंव धर्मदांय गतिविधियाँ :-

दरगाह कमेटी की पहली प्राथमिकता सार्वजनिक सेवायें है । कमेटी ने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इसी मद में खर्च किया । दी गई सेवाओ का विवरण निम्न है ।

- **लंगर वितरण एंव माह रमजान मे सखावत :**

दरगाह कमेटी की तरफ से प्रतिदिन दो वक्त का लंगर मुफत बिना किसी जॉत पात या भेदभाव के बॉटा गया है । लंगर के लिये 4,91,082/- रुपये का सर्फा चालू वित्तीय वर्ष के दोरान हुआ । इसमें 220 किव. 68 कि.ग्रा. 400 ग्राम गेहूँ एंव 55 किव. 53 कि.ग्रा. 600 ग्राम जौ खरीदा गया ।

इसके अतिरिक्त 600 गरीब और जरुरतमंद रोजेदारों को दो वक्त का खाना रमजान के माह में मुफत तकसीम किया गया । केन्द्रीय कारागृह के कैदियो के लिय इफ्तारी वगेरह जैसे फल, खजूरें आदि की व्यवस्था की गई ।

- **चिकित्सा सुविधाएँ :**

वर्ष के दोरान 59282 मरीजों का दरगाह कमेटी के यूनानी एंव होम्योपेथिक दवाखानों मे निशुल्क इलाज किया गया जिस पर 3,23,606/- रुपये का सर्फा हुआ ।

- **शेक्षणिक सुविधायें :**

1. दरगाह कमेटी दारुल उलूम मोईनिया उस्मानिया को सफलता के साथ संचालित कर रही है जिसमें दीनियात के विशेषज्ञों की सेवायें विशेष विषयों में ली जा रही है। फिलहाज दारुल उलूम में 60 विद्यार्थी राजस्थान के बाहर एंव 10 स्थानीय छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । कक्षा के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या निम्न है ।

क.स.	कक्षा	विद्यार्थियों की संख्या
1.	खामिशा	6
2.	राबिया	8
3.	ऐदादिया	6
4.	तेहतानिया	16
5.	हिफज़	34
	कुल तलबा की तादाद	70

वर्ष के दोरान उक्त मद में 5,34,857/- रुपये का सर्फा किया गया । कमेटी का ध्येय है के वो 30 से 50 और विद्यार्थियों को आगामी सत्र मे एनरोल करेगी ।

2. ख्वाजा मॉडल स्कूल जिसे सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है नर्सरी से आठवीं कक्षा तक शिक्षा उपलब्ध करा रहा है जिसमे छात्रों की संख्या 304 है । स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत करने के लिये प्रयास आरंभिक स्तर पर है । कमेटी का मंसूबा छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध कराने की है जिसके लिये कमेटी के पास जमीन ओर अच्छे भवन सिविन लाईन्स, अजमेर में उपलब्ध है । स्कूल के मद में 12,32,847/- रुपये का सर्फा हुआ।

3. **गरीब नवाज़ कम्प्यूटर सेन्टर :**

दरगाह कमेटी एक कम्पयूटर सेन्टर सिविल लाईन्स, अजमेर में एन.सी.पी.यू.एल., मानव विकास संसाधन मंत्रालय, (शिक्षा विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के सोजन्य से चला रही है । इस वक्त कम्पयूटर सेन्टर में 17 कम्पयूटर टर्मिनल एंव 45 छात्र कम्पयूटर एजुकेशन से लाभान्वित हो रहे है । तैयालीस छात्र कामयाबी के साथ परीक्षा वर्ष 2005-06 में सम्मिलित हुये ।

4. **<u>समाज कल्याण एंव दान पुण्य की गतिविधियों पर खर्च:</u>**

समाज कल्याण एंव दान पुण्य की गतिविधियों पर हुये खर्च का विवरण निम्न है ।

क्र.स.	मद	2005-06	2006-07
1.	लंगर एंव रमजान लंगर	4,90,828	4,91,082
2.	निःशुल्क दवाईयॉ	1,34,292	1,29,873
3.	लावारिश मय्यतो का कफन दफन	1,52,231	1,71,670
4.	चिकित्सा सहायता	3,14,896	3,23,606
5.	बेवाओं को वजीफा	5,30,947	5,55,935
6.	जरुरत मंदो की सहायता	1,70,120	2,39,390
7.	शेक्षणिक सहायता	94,780	1,25,317
8.	दारुल उलूम	4,85,688	5,34,857
9.	ख्वाजा मॉडल स्कूल	10,50,387	12,32,847
10.	कम्पयूटर सेन्टर	2,52,913	2,59,964
11.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल	21,222	19,430
12.	जकात	48,671	94,068
13.	स्टाफ की तनख्वाह	78,01,299	79,45,166
	कुल खर्च	**1,15,48,274**	**1,21,23,205**

5. **किराये एंव लायेसेंस आय में वृद्वि :**

किरायदारी ओर लायेसेंस में 33.14 लाख रुपये की एंव गरीब नवाज़ गेस्ट हाउस से 86.80 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई ।

डी. वार्षिक उर्स एंव दरगाह शरीफ की रसूमात :

वार्षिक उर्स : ख्वाजा गरीब नवाज का वार्षिक उर्स एक रजब 1427 हिजरी से छः रजब 1427 हिजरी मुताबिक 28 जुलाई से 2, अगस्त 2006 तक मनाया गया । कुल की रस्म 6 रजब 1427 हिजरी मुताबिक 2 अगस्त, 2006 को मुनक्कद हुई । 9 रजब को पूरी दरगाह शरीफ को गुस्ल केवडे ओर गुलाब जल से जायरीन द्वारा दिया गया । तकरीबन 8 लाख जायरीन ने उर्स में हिस्सा लिया ।

जिला प्रशासन अजमेर एंव दरगाह कमेटी ने जायरीन को सुविधाओ के लिये माकूल इंतेजामात किये थे । दूरसंचार, राजस्थान पथ परीवहन निगम लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस एंव रेलवे ने अपने स्पेशल काउण्टर्स जायरीन की जरुरत के लिये खोल रखे थे । जायरीन की हिफाजत के लिये दरगाह कमेटी द्वारा उन्हे पहचान पत्र दिये गये थे ।

दरगाह शरीफ की धार्मिक रसूमात :-

ख्वाजा साहब के वाषिक उर्स, उनके गुरु हजरत ख्वाजा उस्मान हारुनी (र.अ.) एंव दूसरी मेंहफिले जुमेरत, छठी शरीफ वगेरह की सफलता के साथ आयोति कराई गई । खुल्फा-ए-राशिदेन के उर्स, मुहर्रम, ईदमीलादुन्नबी की रसूमात भी कामयाबी के साथ की गई । ईदों की नमाज की व्यवस्था भी सफलता के साथ कराई गई ।

बाबा फरीद गंज ए-शकर (र.अ.) का चिल्ला खुलवाना : बाबा फरीद गंज-ए-शकर (र.अ.) का चिल्ला 72 घंटे के लिये 4 मुहर्रम से 6 मुहर्रम 1428 हिजरी मुताबिक मोरखा 25 जनवरी से 27 जनवरी 2007 तक खोला गया । लगभग एक लाख जायरीन ने दरगाह की जियारत की ।

ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना शरीफ के ए.सी. : दरगाह कमेटी द्वारा प्रतिमाह लगभग 1 लाख रुपये विद्युत बिल के रुप में अदा किये गये ।

मजार मुबारक पर संदल, फूल एंव मोमबतितयॉ की सजावट :- परम्परा के अनुसार निम्नलिखित खर्च दरगाह कमेटी द्वारा संदल, फूल एंव मोमबत्तियों पर किया गया ।

क्र.स.	मद	खर्च की तफसील
1.	गुले सुर्ख (गुलाब के फूल)	2,00,000
2.	संदल	1,92,634
3.	मोमबत्तियाँ	76,115
	कुल खर्च हुई रकम	**4,68,749**

ई. मरम्मत एंव अनुरक्षण:-

मरम्मत एंव अनुरक्षण पर हुये खर्च का विवरण निम्न है ।

क्र.स.	मद	खर्च की तफसील
1.	शहरी जायदाद दरगाह कमेटी	75,424
2.	आरामगाह का अनुरक्षण	4,16,635
3.	दरगाह अपार्टमेंट का अनुरक्षण	44,099
4.	दरगाह शरीफ का अनुरक्षण	1,69,100
	कुल खर्च हुई रकम	**7,05,258**

एफ. दरगाह कमेटी की बेठके :

वर्ष के दौरान दरगाह कमेटी की पॉच बेठकें दरगाह के मामलात के संबध में आयोजित हुई ।

जी. वी.वी.आई.पी. एंव वी.आई.पी. का आगमन :

निम्नलिखित अतिविशिष्ठ व्यक्तियों ने दरगाह शरीफ की जियारत की जिसका की उल्लेख निम्न प्रकार है ।

1. जनाब अब्दुल रऊफ साहब, उप-राष्ट्रपति, मोरशस गणराज्य ।
2. जनाब मोलान कल्बे जवाद, अध्यक्ष, पीपुल्स डेमोक्रटिक फ्रन्ट ।
3. जनाब गेगांग अपांग, मुख्य मंत्री अरुणाचल प्रदेश ।
4. सयुंक्त संसदीय समिति, भारत सरकार ।
5. जनाब आसिफ अली साहब, सी.ए.जी. बॉग्लादेश ।
6. जनाब लालू प्रसाद यादव, रेल मंत्री, भारत सरकार ।
7. जनाब श्री चन्द्र बाबू नायडू, पूर्व मुख्य मंत्री, ए.पी. ।
8. जनाब लाल जान बाशा साहब, सांसद एंव अध्यक्ष, सयुंक्त संसदीय समिति ।
9. डाक्टर शकील अहमद, मंत्री, आई टी एंव दूरसंचार, भारत सरकार ।
10. श्री सुमेर मल महाराज़ जेन मुनि ।
11. श्री पासवान बंसल जी, केन्द्रीय राज्य वित्त मंत्री, भारत सरकार ।
12. श्री मीर जफरुल्ला जमाली, पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान ।
13. जनाब गुलाम मोहम्मद शाह पूर्व मुख्य मंत्री, जे. एण्ड के ।
14. जनाब कमल मोरारका, सांसद ।

एच. लेखों का अंकेक्षण

दरगाह के लेखों एंव रिकार्डस का अंकेक्षण बराये साल 2004-05 एंव 2005-06 प्रिसिपल अकाउण्टेन्ट जनरल, राजस्थान जयपुर की टीम ने किया । ऑडिट 21 अगस्त से 2 सितम्बर 2006 एंव 15 मार्च 2007 से 2 अप्रेल 2007 तक क्रमशः किया गया । कुछ सुझाव जो के सामान्य प्रकृति के थे आडिट ने दिये जिसकी पालना से कार्य में ओर बेहतरी आयेगी ।

आई. धन्यवाद

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एंव तमाम दरगाह कमेटी के सदस्यों का में आभारी हूँ जिनके दिये गये मार्गदर्शन से दरगाह शरीफ का प्रंबधन सुचारु रुप से हो पाया । दरगाह कमेटी के सहयोग के परीणाम स्वरुप नित प्रति दिन एंव उर्स एंव मुख्य दरगाह शरीफ की रसूमात का प्रंबधन बिना किसी व्यवधान के हुआ ।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, भारत सरकार एंव जिला प्रशासन अजमेर, पुलिस विभाग, नगर परिषद, विद्युत विभाग एंव अन्य विभागो से निरन्तर मार्गदर्शन पाप्त होता रहा जिससे दरगाह प्रशासन में गुणवत्ता आई ।

में यहाँ अपनी रिपोर्ट इस नोट के साथ खत्म करता हूँ के आने वाला वर्ष भी चुनोतीपूर्ण होगा जिससे में निर्माण कार्य व कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जायेगा जिसके लिये एक खाके (Vision Document) की तैयारी प्रगति पर है ।

(अहमद रज़ा)
नाज़िम,
दरगाह कमेटी,
दरगाह ख्वाजा साहब,
अजमेर ।

STATE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE

Mumbai-400021, the 17th April 2008

NOTICE

Notice is hereby given that the Register of Shareholders of the State Bank of India will be closed for transfer of shares for payment of dividend for 2007-2008, if any, from Monday, the 2nd June 2008 to Wednesday, 11th June 2008 both days inclusive.

O. P. BHATT
Chairman

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 25th March 2008

No. N-15/13/7/5/2006-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st April, 2008 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

Name of the Revenue Village or Municipal Limits	Hobli	Taluk	Distt.
Mahajenahalli	Kasaba	Harihar	Davanagere

GRAM PANCHAYAT-HANAGAWADI

R. C. SHARMA
Jt. Director (P & D)

No. N-15/13/11/01/2008-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st April, 2008 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

S. No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	Distt.
1.	Talwara	74	Amloh	Fatehgarh Sahib
2.	Chatarpura	68	Amloh	Fatehgarh Sahib
3.	Mullanpurkalan	42	Fatehgarh Sahib	Fatehgarh Sahib
4.	Wazirnagar	44	Fatehgarh Sahib	Fatehgarh Sahib

R. C. SHARMA
Jt. Director (P & D)

No. N-15/13/23/01/1988-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March, 2008 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Nagaland Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1999 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Nagaland namely :—

"Areas under Dimapur Municipal area falling within Dimapur Revenue Circles including the Revenue Village-Dimapur Town, Nagarjan, Puranabazar, 4th Mile, Ekranigaon, Darogapathar, under Mouza-I, II, III in the District of Dimapur."

R. C. SHARMA
Jt. Director (P & D)

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

New Delhi, dated_____, 2007

F. No. OPS-748/2003

S.O.....– In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (f) and (g) of sub-section (2) and sub-section (4) of section 42 and section 34 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Airports Authority of India, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following further amendments to the Airports Authority of India (Lost Property) Regulations, 2003, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Airports Authority of India (Lost Property) Amendment Regulations, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Airports Authority of India (Lost Property) Regulations, 2003, -

(1) for regulation 2, the following shall be substituted, namely:-

"2 (1) Definitions : In these regulations, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994);

(b) "Airport Director" means the director of the concerned Airport to which these regulations apply;

(c) "Customs Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(d) "Duty Airport Manager" means an officer of the Authority who works as an officer-in-charge in shift of passenger terminal;

(e) "Duty Officer Control Tower" means an officer of the Authority who works as an officer-in-charge in shift of Air Traffic Control Tower;

(f) "Government Assessor" means any person holding the licence from Government of India as an Appraiser or Valuer;

(g) "Incharge of the Airport or Civil Enclave" means the incharge of the concerned Airport or Civil Enclave to which these regulations apply;

(h) "Lost Property" means any property which, while not in proper custody, is found on any premises, belonging to the Authority or under its overall control or in any aircraft on any such premises;

(i) "Lost Property Office" means any place specified by the Director or Incharge of the Airport or Civil Enclave for the safe keeping of the lost property and any reference to the delivery of the lost property to the Lost Property Office means delivery to an officer at such an office;

(j) "Officer" means an officer of the Authority other than the Airport Director or Incharge of the Airport or Civil Enclave.

(2). Words and expressions used in these regulations but not defined and defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.";

(3) for regulation 3, the following regulation shall be substituted, namely :-

"3. **Lost property to be handed over to an officer**.- (1) Subject to the provisions of the Customs Act and of the rules and regulations made thereunder, any person (other than Duty Airport Manager or Duty Officer Control Tower as the case may be) who finds any lost property shall hand it over immediately to the Duty Airport Manager or Duty Officer Control Tower as the case may be in the same condition in which he finds it and inform the Duty Airport Manager or Duty Officer Control Tower as the case may be, of the circumstances in which it was found.

(2) The Duty Airport Manager or Duty Officer Control Tower as the case may be referred to in clause (1) shall be responsible to maintain a register containing the description of the lost property, the name, address and the signature of the person and the officer handing it over and taking it over";

(4) in regulation 4, -

(a) in sub-regulation (1), for the words "any officer" the words "Duty Airport Manager or Duty Officer Control Tower as the case may be" shall be substituted;

(b) in the provisio, for the words "the officer" occurring at both the places the words "Duty Airport Manager or Duty Officer Control Tower as the case may be" shall be substituted;

K. RAMALINGAM, Chairman

Foot note - The principal regulations were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O.28(E) dated the 9th January, 2003 and subsequently amended by S.O. 1731 (E) dated the 9th December, 2005.

Audit Report on the Accounts of Dargah Khwaja Saheb, Ajmer for the year 2005-06.

1. Introductory

1.1 The Dargah Khwaja Sahab Act was passed by the Parliament in 1955 for proper administration of the Dargah Khwaja Saheb, Ajmer (Dargah). The administration, control and management of Dargah Endowment is vested in the Dargah Committee which exercises its functions through 'Nazim' appointed by the Government of India in consultation with the Committee.

1.2 The audit of accounts of the Dargah has been entrusted under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor general's (Duties, Power and Conditions of Services) Act, 1971 for a period of 5 years with effect from 2003-04.

Comments on Accounts

2. Balance Sheet

2.1 Assets Rs. 4.71 crore

2.1.1 Income due but not received

This is understated by Rs.0.31 lakh being expenses incurred on computers consumable like floppies, tonners etc. reimbursable from National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL), Department of Secondary and Higher Education, Government of India (GOI), New Delhi, incorrectly charged as expenditure under the head "Computer Center Expenses" in the Income and Expenditure account instead of depicting the same under the head "amount receivable from NCPUL" in the Balance Sheet. This also resulted in understatement of "Excess of Income over Expenditure " to this extent.

Facts & figures have been accepted by Dargah.

3. Income & Expenditure Account

3.1 Expenditure Rs. 1.97 crore

3.1.1 Inside Gumbad Sharif Expenses Rs. 6.29 lakh

This is overstated by Rs. 0.28 lakh being the value of closing stock of 20.450 Kg sandal incorrectly treated as expenditure under the Sub head "Sandal for Mazar Sharif". This also resulted in understatement of assets to this extent .

Dargah stated that audit's suggestion will be implemented in future.

4. General

4.1 A common format of accounts for central autonomous bodies has been prescribed by the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India. Dargah has not adopted the prescribed format of annual accounts for the year 2005-06. Dargah agreed to adopt prescribed format of accounts from the financial year 2006-07.

Similar comment was also made in the audit report of 2004-05.

4.2 The accounts of the Dargah were being audited by a Chartered Accountant firm in contravention of the standard terms and conditions (conditions) prescribed for taking up audit under section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Power and Conditions of service) Act 1971.

The Dargah stated (December,2007) that audit is conducted by C.A. & he is also its internal auditor. However, C & AG being the sole auditor and as per terms & conditions of audit entrustment, the appointment of any primary auditor can only be made by C & AG who may conduct audit on his behalf on the basis of directions & guidelines issued by C & AG.

Similar comment was also made in the Audit Report of 2004-05.

4.3 Fixed Assets Register showing details / value of each asset has not been updated and totals at the end of each year have not been indicated and reconciled with the figures shown in the accounts. In absence of which the correctness of assets worth Rs. 3.22 crore could not be verified in audit.

The Dargah stated (December, 2007) that entry will be made in the assets register from the financial year 2006-07.

Similar comment was also made in the Audit Report of 2004-05.

4.4 Depreciation has not been charged on immovable assets i.e. buildings.

The Dargah stated (December, 2007) that it being a charitable trust it's income is exempted from Income Tax. Capital & Revenue expenditure are treated as expenditure of the charitable institution. The reply is not tenable as in absence of depreciation the accounts do not depict the true & fair value of immovable assets.

Similar comment was also made in the Audit Report of 2004-05.

4.5 Notes on accounts indicate that, Income due but not received from previous five years (Rs. 4.30 lakh), Annuity due but not received from previous nine years (Rs.0.85 lakh) Amount receivable from the Member, Dargah Committee, (Rs.1.45 lakh) and Rental income and lease money due but not received (Rs. 3.69 lakh)have been written off from the accounts without taking the approval of the committee.

The Dargah stated (December, 2007) that the accounts for the year 2004-05 have been approved by the accounts committee. Keeping in view the receivable amount in absence of specific sanction reply of the Dargah is not tenable. The sanction to write off the receivable amount may be obtained from the Dargah Committee.

4.6 Silver made bowls (10 No.) valuing Rs.0.17 lakh received as donation for Dargah Sharif were not entered in the stock register. These were also not found in possession of the management.

The Dargah stated that the silver bowls, are hanging in Dargah Shariff These are not in it's chest. therefore, these bowls be booked as expenditure in the accounts for the year 2006-07. The reply is not tenable, as per accounting practices donation received in goods/ kind may be entered in stock register to depict true & fair view of financial status.

5. Effect of Audit on Accounts:

The net impact of the comments given in preceding paras is that as on 31st March 2006 assets and excess of income over expenditure are understated by Rs.0.59 lakh.

6. Deficiencies, which are not included in this Audit Report, have been brought to the notice of the Nazim, Dargah Khwaja Saheb, Ajmer through a management letter issued separately for corrective and remedial action.

Place: Jaipur
Date: 05-02-2008

Accountant General (Civil Audit)
Rajasthan, Jaipur

Audit Certificate

I have audited the attached Balance Sheet of Dargah Khwaja Saheb (Dargah), Ajmer as at 31st March 2006 and the Income and Expenditure Account / Receipts and Payments Accounts for the year ended on that date. Preparation of these financial statements is the responsibility of Dargah's management. My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I have conducted my audit in accordance with applicable rules and auditing standards generally accepted in India. These standards require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. I believe that my audit provides a reasonable benefit on my opinion.

Based on audit, I report that:

1. I have obtained all the informations and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

2. Subject to the major observations given below and detailed observations in the Audit Report annexed herewith, I report that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account / Receipts and Payments Account dealt with by this report are properly drawn up and are in agreement with the books of accounts.

- Non adoption of common format (Para no. 4.1)
- Improper maintenance of fixed assets register (Para no. 4.3)
- Written off various dues Rs. 10.29 lakh without obtaining approval of the Committee. (Para no. 4.5)

3. In my opinion and to the best of my I formation and according to the explanations given to me:

(i) the said Balance Sheet, Income and Expenditure Account / Receipts and payments Accounts read together with the Notes thereon, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Audit Report annexed herewith, give a true and fair view.

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet of the state of affairs of the Dargah at 31st March, 2006 and

(b) In so far as it relates to the Income and Expenditure Account of the - surplus for the year ended on that date.

Place: Jaipur
Date: 05 **-02-2008**

Accountant General (Civil Audit)
Rajasthan, Jaipur

Annual Administrative Report
Of
Dargah Khwaja Sahab(R.A.), Ajmer
For The Year 2006-2007

It is my privilege and also a matter of immense pleasure to make a presentation on the Administrative aspects of Dargah Khwaja Sahab of Ajmer, for the year 2006-2007.

The year was full of events in connection with the activities relating to the community services, the sole object of the mission of Khwaja Moinuddin Chishty (R,A,). During the year there was also change of guard. A few changes in the management of Dargah Committee, have also taken place.

A. The Management :

In the beginning of the year under report, the Dargah Committee consisted of the following:

i.	Janab Peerzada Shibli Qasim,	President.
ii.	Janab Haji Syed Abdul Bari Chishty,	Vice President.
iii.	Janab Haji Inayat Hussain Qureshi,	Member.
iv.	Janab Adul Kader Wadiwala,	Member.
v.	Janab Shokat Ali Ansari,	Member.
vi.	Janab Mansoor Ali "Lalli"	Member.
vii.	Janab Abdul Waheed Khan,	Member.
viii.	Janab Haji Abdi Ali Kadri,	Member.

Janab Peerzada Shibli Qasim and Janab Haji Syed Abdul Bari Chishty were appointed as President and Vice President respectively for the year 2006-2007.

The tenure of Haji Inayat Hussain Qureshi Sahab, Committee Member was over on 15th October, 2006.

B. Financial Status:

Depicted below is the Financial Status of The Dargah committee in term of an abridged Income & Expenditure account.

S.No.	Head	2005-06	2006-07
1.	Opening Balance	23,202	4,04,344
2.	Income during the year (+)	2,11,66,440	2,49,95,257
	Total	**2,11,89,642**	**2,53,99,601**
3.	Expenditure during the year (-)	2,07,85,298	2,47,48,003
4.	Closing Balance in the end of the year	4,04,344	6,51,598
5.	Reserve Fund	**62,50,000**	**89,00,000**

C. Charitable and Welfare Activities:

Community Services is the only priority of the Committee and therefore the major chunk of its revenue is diversified towards this head of expenditure. A brief account of the services so provided is given below.

- **Distribution of Langar and Ramzan Charity :**

During whole the year the Langar (Cooked Food) was distributed twice daily to all without discrimination of caste and creed. A sum of Rs.4,91,082/- was spent on this account. For this 220 Qt. 68 Kg Kg. 400 gm wheat and 55 Qt. 53 Kg. 600 gm barley was purchased.

Also 600 poor and needy.rozedars have been given two times meals daily during the Holy Month of Ramzan. Besides this Iftari including fruits, Khajoor (dates) etc. were also arranged for Central Jail prisoners.

- **Medical Facilities :**

During the year under report total 59282 patients have been treated through Committee's Unani & Homeopathic dispensaries, involving an expenditure of Rs. 3,23,606/-

- **Academic Facilities:**

i. The Committee has been successfully managing Darul Ulom Moinia Usmaniya for which the services of qualified theologists have been availed for teaching the specialized subjects. At present the Darul Uloom has a strength of comprising 60 students from outside Rajasthan asnd 10 from proper Ajmer. The class wise strength of students is as follows:

S.No.	Class	No. of Students
1.	Khamisa	6
2.	Rabiya	8
3.	Aidadiya	6
4.	Tehtaniya	16
5.	Hifz	34
	Total no. of Students	70

An amount of Rs. 5,34,857/- has been spent during the year. The Committee has the plan to enroll at least 30 to 50 more students during the next year.

ii. The Khwaja Model School which is affiliated by C.B.S.E., New Delhi has the classes from Nursery to 8th Class with the total strength 304 students. The

process of upgrading the school upto Sr. Secondary is at an advanced stage. The Committee also plans to provide hostel facility to the students for which it has land and buildings located at prime location. An expenditure of Rs. 12,32, 847/- has been incurred on the school.

iii. Gharib Nawaz Computer Center:

The committee has a Computer Center at Civil Lines, Ajmer with the association of National Council For Promotion of Urdu Language, Ministry of Human Resource Development, (Education Department) Government of India, New Delhi. At present the Center has 17 Computer terminals and 45 students are being benefited at which forty three students have successfully appeared in the examination during the year 2005-06.

IV. Expenditure on Community Services:

The expenditure incurred on different heads of account for providing the above community services is as follows:

S.No.	Head	2005-06	2006-07
1.	Langar & Ramzan Langar	4,90,828	4,91,082
2.	Free Medicine	1,34,292	1,29,873
3.	Tajheej-o-Takfeen (Burial of unclaimed dead bodies)	1,52,231	1,71,670
4.	Medical Assistance	3,14,896	3,23,606
5.	Stipend to widows	5,30,947	5,55,935
6.	Help to Needy	1,70,120	2,39,390
7.	Educational Assistance	94,780	1,25,317
8.	Darul Uloom	4,85,688	5,34,857
9.	Khwaja Model School	10,50,387	12,32,847
10.	Computer Centre	2,52,913	2,59,964
11.	School in Rural Areas	21,222	19,430
12.	Zaqat Expenditure	48,671	94,068
13.	Pay to Staff	78,01,299	79,45,166
	Total Expenditure	**1,15,48,274**	**1,21,23,205**

V. Increase in Rental / License Income:

This year has recorded an Income of Rs. 33.14 Lakh for rental and license Income whereas the Gharib Nawaz Guest House has fetched an Income of Rs. 86.80 Lakh.

D. Arrangements of Annual Urs and Rituals of Dargah Sharif:

Annual Urs :- Annual Urs of Hazrat Khwaja Moinuddin Chishty (R.A.) was celebrated from 1st Rajab to 6th Rajab, 1427 Hijri corresponding to 28th July 2006. Qul ceremony was held on 2nd August 2006 i.e. 6th Rajab 1427 Hijri. On 9th Rajab 1427 Hijri i.e 5th August 2006 whole Dargah was washed and cleaned by rose water, zaireen sprinkled rose water, kewra water in Dargah premises. About 8 lacs zaireen gathered during the urs.

- Elaborate arrangements were made by the Distt. Administration and the Dargah management to provide facilities to the zaireen, The Telecommunication Department. Rajasthan State Roadways, Transport Corporation, Post Offices, Railways opened their special trains counters for the need of pilgrims. Identity cards were given to pilgrims as per past practice for their safe guard.

- **Rituals of Dargah Sharif:-** The Mehfil of Annual Urs of Khwaja Sahab, his Peer-o-Murshid Khwaja Usman harooni (R.A.) and other Mehfils of Jumerat (Thursday) Chati Sharif, Chaudveen Sharif were performed properly. The Airas of Khulfa-E-Rashideen, Muharram, Eid Miladunnabi etc were observed solemnly. Arrangements for prayers of Eiden were also made at Eidgah and Dargah Sharif.

- **Opening of Chilla of Baba Farid Ganj-e-Shakar :-** Chilla of Baba Farid Ganj-E-Shakar was opened for 72 hrs on 25th Januay, 2007 to 27th January 2007 i.e. 4th Muharram to 6th Muharram 1428 Hijri. About one lakh pilgrims visited the Dargah.

- **A.C of Astana Sharif of Khwaja Sahab:-** An amount of Rs one lac per month was borne by the Dargah Committee against electricity charges of Air Conditioners of Astana Sharif.

- **Supply of Rose Flowers, Candles and Sandal:-** As per practice and tradition following expenditure were incurred for presenting flowers and Sandal paste on Mazar-e-Aqdas and Candles for lighting the tomb.

S.No.	Item	Amount Spent in Rupees
1.	Rose flowers	2,00,000
2.	Sandal	1,92,634
3.	Candles	76,115
	Total Rs.	**4,68,749**

E. Repairs & Maintennace

The break up of expenses incurred on repairs and maintenance is as follows

S.No.	Item	Amount Spent in Rupees
1.	Properties of DKS in City	75,424
2.	Maintenance of Guest House	4,16,635
3.	Maintenance of Dargah Apartments	44,099
4.	Maintenance of Dargah Sharif	1,69,100

	Total Rs	**7,05,258**

F. Dargah Committee Meetings

The Dargah Committee has had 5 sittings during the year in connection with the affairs of Dargah Sharif.

G. Visit of V.V.I.P's/ V.I.P.

The visit of following dignitaries amongst others deserves to be recorded.

1.	Janab Abdul Rauf Sahab,	Vice President, Republic of Mauritius.
2.	Janab Moulana Qalbe Jawwad,	President, Peoples Democrtic Front.
3.	Janab Gegang Apang,	C.M. of Arunachal Pradesh.
4.	Joint Parliamentary Committee,	Government of India.
5.	Janab Asif Ali Sahab,	Comptroller & Auditor General, B'Desh.
6.	Shri Laloo Prasad Yadav,	Hon'ble Rail Minister, Govt. of India.
7.	Shri Chandra Babu Naidoo,	Former C.M. of Andhra Pradesh.
8.	Janab Lal Jan Basha Sahab	M.P. & Chairman J.P.C., Govt. of India.
9.	Dr. Shakil Ahmed Sahab,	Minister of State for IT and Telecommunication, Govt. of India.
10.	Shri Sumer Mal Maharaj Jain Muni Maharaj.	
11.	Shri Pawan Bansal Ji,	Minister of State for Finance, Govt. of India.
12.	Shri Meer Zafarullah Jamali,	Former Prime Minister of Pakistan.
13.	Janab Ghulam Mohd. Shah,	Former Chief Minister, Jammu & Kashmir.
14.	Shri Kamal Morarka,	M.P.

H. Audit of accounts.

Audit of Accounts of Dargah Khawaja Sahab for the year 2004-05 and 2005-06 have been carried out by Principal Accountant General's team, Jaipur from 21st August 2006 to 2nd September 2006 and 15th March, 2007 to 2nd April, 2007 respectively. A few suggestions, advices of normal nature as given by the audit would be complied with for further improvements.

I. Vote of Thanks

The President and Vice President in particular and all the Committee Members in general have rendered valuable guidance for smooth and successful administration of Dargah Sharif. There was spontaneous cooperation from the Dargah Committee which has resulted in smooth conduct of day to day functioning and special events like Urs and other conventional rituals.

I would be failing in my duties if I do not mention that there was very good support from the Ministry of Minority Affairs, Government of India and the District Administration Ajmer, Department of Police, Municipal Corporation, Electricity Board and other Public Utility service providers.

I conclude this report with a note that the year to come would also be eventful for which a vision document is under preparation.

Ahmed Raza
Nazim,
Dargah Committee,
Dargah Khwaja Sahab,
Ajmer-305 001

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008